

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/7994-8033

दिनांक 19/11/2021

कोषाधिकारी
समस्त।

विषय:- डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट (DSC Dongle) के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों एवं आहरण वितरण अधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर के डोंगल Class-2 के बने हुए हैं, लेकिन अब Class-2 के डोंगल बनना बन्द हो गए हैं तथा Class-3 के डोंगल बनाये जा रहे हैं।

अतः कोषाधिकारी/अतिरिक्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के नये डोंगल बनाने अथवा पुराना डोंगल Expire हो जाने पर नया डोंगल बनाने हेतु Class-3 का ही डोंगल बनाकर पुर्वानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। आहरण वितरण अधिकारी का डोंगल भी तदानुसार अब Class-3 का ही बनेगा। इस हेतु अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा सकता है।

www.rajsevak.com

भवदीय


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/8034

दिनांक 19/11/2021

प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


अतिरिक्त निदेशक (IFMS)